

राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग
कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, 6 सी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004


क्रमांक F1(BRAP)RC/2021/F&B-00016 / 118

दिनांक 15/03/2021

आदेश

राज्य के उद्योगों पर व्यावसायिक नियामकों की अनुपालनाओं (Regulatory Compliances) का बोझ कम कर उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा EoDB के लिये ऑनलाइन तकनीक का उपयोग करने व स्व प्रेरणा से नियमों की त्वरित पालना के लिये कारखाना प्रबंधन को बायलर अधिनियम, 1923 व इसके अन्तर्गत बने नियम व रेग्युलेशन्स के तहत Third Party निरीक्षण व सर्टीफिकेशन का विकल्प दे दिया गया है। इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उक्त सभी कार्यों के आवेदन, Information, document and compliance submission व अनुमोदन ऑनलाईन विभागीय RajFAB पोर्टल के माध्यम से ही किये जावें। पोर्टल पर डेटा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन कार्यों में Prefill with refilling की सुविधा दी जावे।

उक्त आदेश किसी शिकायत अथवा दुर्घटना होने की स्थिति अथवा प्रशासनिक / राज्य सरकार के किसी आदेश अथवा न्यायालय के आदेश अथवा मानवाधिकार आयोग के आदेश की स्थिति में लागू नहीं होंगे।



(मुकेश जैन)

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
राजस्थान, जयपुर